Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी 25,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।**

जयपुर, दिनांक 03 जून 2026। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर एसीबी चौकी धौलपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी **रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर** को परिवादी से **25,000/-रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी धौलपुर को एक शिकायत इस आशय कि प्राप्त हुई कि परिवादी को ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर में मनरेगा योजना में मस्टरोल जारी करने की एवज में आरोपी रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा 26,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है, उक्त शिकायत का दिनांक 01.06.2026 को गोपनीय सत्यापन कराया गया, आरोपी द्वारा 25,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांगने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया।

जिस पर सत्यापन उपरान्त एसीबी भरतपुर रेंज के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा,** के सुपरविजन में आज दिनांक 03.06.2026 को एसीबी चौकी धौलपुर के **पुलिस उप अधीक्षक श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत रतनपुर को 25,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है रिश्वत राशि आरोपी की पहनी पेन्ट की जेब से बरामद की गई है। अग्रिम कार्यवाही जारी है।

एसीबी की **महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस परिमला** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।